कार्यालय वन वृत्त, बैतूल (म.प्र.)

कार्यालय :- टेलीफोन/फैक्स (07141) 234396 ccf.btl@mp.gov.in

क्रमांक/मा.चि./ 618 बैतूल दिनांक - 05.05.2026

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
(कक्ष भू प्रबंध)
वन भवन भोपाल

विषय:- बैतूल जिले के अंतर्गत मेंढा मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु 20.14 हे. वनभूमि जल संसाधन विभाग को उपयोग पर देने बाबत्।

संदर्भ:- 1.आपका पत्र क्रमांक /एफ-3/2019/10-11/2/ दिनांक 10.01.2026।

2. वनमंडलाधिकारी दक्षिण बैतूल (सा.) वनमंडल का पृ.क्र./मा.चि./412 दिनांक 23.03.2026।

= = 00 = =

उपरोक्त विषयांकित संदर्भित पत्र के तारतम्य में निवेदन है कि, विषयांकित परियोजना के प्रस्ताव पर भारत सरकार द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करने से पूर्व 02 बिंदुओ पर जानकारी चाही गयी है। वनमंडलाधिकारी दक्षिण बैतूल (सा.) वनमंडल द्वारा 02 बिंदुओ की जानकारी सीधे आपकी ओर संप्रेषित करते हुए इस कार्यालय को पृष्ठांकित की गई है।

वनमंडलाधिकारी दक्षिण बैतूल (सा.) वनमंडल द्वारा प्रेषित जानकारी आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर संलग्न संप्रेषित है।

सहपत्र:- उपरोक्तानुसार।

(मधु व्ही.राज)
वनसंरक्षक
वन वृत्त बैतूल

पृष्ठा. क्र./मा.चि./ 619 बैतूल, दिनांक - 05.05.2026

प्रतिलिपि:- वनमंडलाधिकारी दक्षिण बैतूल (सा.) वनमंडल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

वनसंरक्षक
वन वृत्त बैतूल

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी दक्षिण बैतूल (सा.) वनमण्डल (म.प्र.)

पता – कालेज रोड, गांधीनगर वार्ड, बैतूल, जिला बैतूल (म.प्र.) पिन : 460001
E-Mail : dfotsbetul@mp.gov.in, dfotsbetul@gmail.com Ph. & Fax No. 07141-234266

क्रमांक / मा.चि. / 411 बैतूल, दिनांक 23/03/2026

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक
(भू–प्रबंध) भोपाल

विषय :– बैतूल जिले के अंतर्गत मेंढा मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु 20.14 हेक्टेयर वनभूमि जल संसाधन विभाग को उपयोग पर देने बावत्। (प्रकरण क्र./FP/MP/IRRIG/37074/2018)

संदर्भ :– 1. भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल का पत्र क्र. 6-MPR/025/2022/BHO दिनांक 01.01.2026
2. आपका पत्र क्र. / एफ–3 / 17 / 2019 / 10–11 / 2 दिनांक 10.01.2026
3. कार्यालयीन पत्र क्र. / मा.चि. / 901, 902 दिनांक 16.02.2026
4. वनमंडलाधिकारी उत्तर बैतूल (सा.) वनमंडल का पत्र क्र. / मा.चि. / 2026 दिनांक 17.03.2026

– 0 –

निवेदन है कि भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भोपाल के संदर्भित पत्र द्वारा प्रकरण संबंधी निम्नानुसार 02 बिन्दुओं की चाही गई जानकारी प्रस्तुत करने हेतु आपके संदर्भित पत्र दिनांक 10.01.2026 से वनमंडल कार्यालय को लेख किया गया है। बिन्दु क्रमांक–01 की कार्य आयोजना अधिकारी बैतूल एवं बिन्दु क्रमांक–02 की वनमंडलाधिकारी उत्तर बैतूल (सा.) वनमंडल से प्राप्त जानकारी निम्नानुसार प्रस्तुत है :–

बिन्दु क्रमांक	जानकारी	विवरण
01	प्रस्ताव से संबंधित e-mail के माध्यम से प्रेषित revised KML file चाहे गये मानको के अनुरूप नही है एवं revised KML file, online portal में अपलोड नहीं है। अतः संशोधित KML file, online portal में अपलोड किये जाने का कष्ट करे।	प्रकरण में प्रश्नाधीन वनखण्ड–49 (सीमांकित संरक्षित वनकक्ष क्र. P-1101) की सुधारित (revised) KML फाईल कार्यालय वनसंरक्षक कार्य आयोजना इकाई बैतूल के कार्यालयीन ई–मेल दिनांक 03.11.2025 से वनमंडल कार्यालय में प्राप्त एवं वनमंडल कार्यालयीन पत्र क्र. / मा.चि. / 1866 दिनांक 03.11.2025 एवं ई–मेल दिनांक 03.11.2025 से आपके कार्यालय प्रेषित की गई थी। Revised KML file, online portal में अपलोड की कार्यवाही वन मुख्यालय सूचना प्रौद्योगिकी एवं भू–प्रबंध कक्ष द्वारा होनी है।
02	प्रस्तावित क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण (CA) का क्षेत्र पहले से गुजर रही ट्रांसमिशन लाइन के व्यपवर्तन क्षेत्र में शामिल है और यदि अतिरिक्त क्षेत्र की आवश्यकता होती है तो उसे CA के लिये प्रस्तावित क्षेत्र में जोड़ा जाएगा से संबंधित राज्य शासन के अभिमत सहित प्रेषित किया जाये।	वनमंडलाधिकारी उत्तर बैतूल (सा.) वनमंडल के संदर्भित पत्र अनुसार ग्राम–चापडा रैयत, पटवारी हल्का–पहावाडी, तहसील–शाहपुर की भूमि खसरा नंबर–17 / 1 (स) रकबा–50.140 हे. में से 9.28 हे. तथा खसरा नंबर–17 / 2 (स) रकबा–35.00 हे., इस प्रकार कुल 44.28 हे. क्षेत्र वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु चयनित किया गया है। मेंढा मध्यम परियोजना के अंतर्गत डूब से प्रभावित वनभूमि 20.14 हे. वनभूमि जल संसाधन विभाग को उपयोग में देने के एवज में दोगुना क्षेत्र 40.28 हे. होता है। खसरा नंबर–17 / 2 (स) रकबा–35.00 हे. में से उपवनमंडलाधिकारी शाहपुर (सा.) द्वारा प्रस्तुत मौका स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार ट्रांसमिशन लाईन का (400 मीटर लंबाई X 52 मीटर चौडाई = 20800 वर्ग मीटर) 2.08 हे. क्षेत्र में पॉवरलाईन गुजर रही है।

Scanned with OKEN Scanner

		वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु चयनित क्षेत्र का कुल रकबा 44.28 हे. क्षेत्र राजस्व विभाग से हस्तांतरित करा लिया गया है, जो कि 4.00 हे. अधिक है। 4.00 हे. अधिक क्षेत्र जिसमें पॉवरलाईन गुजर रही है को सुरक्षा की दृष्टि से वृक्षारोपण क्षेत्र में शामिल किया गया है। अतः प्रस्तावित वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु अतिरिक्त क्षेत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

विन्दु क्रमांक–01 अनुसार प्रश्नाधीन क्षेत्र की सुधारित KML फाईल (Revised KML file) पुनः आज ई–मेल दिनांक 23.03.2026 एवं वनमंडलाधिकारी उत्तर वैतूल (सा.) वनमंडल के संदर्भित पत्र की छायाप्रति अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु हार्डकॉपी में संलग्न प्रेषित है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

(अरिहंत कोचर)
भा.व.से.
वनमंडलाधिकारी,
दक्षिण वैतूल (सा.) वनमंडल
वैतूल, दिनांक 23/03/2026

पृ. क्रमांक/मा.चि./412
प्रतिलिपि :–

1. वनसंरक्षक, वन वृत्त वैतूल म.प्र. की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. वनमंडलाधिकारी, उत्तर वैतूल (सा.) वनमंडल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. कार्य आयोजना अधिकारी, वैतूल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्रमांक–2 की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

वनमंडलाधिकारी,
दक्षिण वैतूल (सा.) वनमंडल

ok

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय वनमंडलाधिकारी उत्तर बैतूल (सा०) वनमंडल

क्रमांक/मा.चि./2026 / 1649
बैतूल, दिनांक 13/02/2026

प्रति,

वनमंडलाधिकारी,
दक्षिण बैतूल (सा.) वनमंडल

विषय :- बैतूल जिले के अंतर्गत मेंढा मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु 20.14 हे. वनभूमि जल संसाधन विभाग को उपयोग पर देने बाबत्। (FP/MP/IRRIG/ 37074/2018)

संदर्भ :- आपका पृ. पत्र क्रमांक/मा.चि./480 दिनांक 16.01.2026

-00-

विषयांतर्गत आपके संदर्भित पत्र के तारतम्य में लेख है कि प्रकरण में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भोपाल का पत्र दिनांक 01.01.2026 के बिंदु क्रमांक – 2 अनुसार चाही गई जानकारी निम्नानुसार है :-

बिंदु क्रमांक – 2	वनमंडल की टीप
प्रस्तावित क्षतिपूरक वृक्षारोपण (CA) का क्षेत्र पहले से गुजर रही ट्रांसमिशन लाइन के अपवर्तन क्षेत्र में शामिल है और यदि अतिरिक्त क्षेत्र की आवश्यकता होती है तो उसे CA के लिये प्रस्तावित क्षेत्र में जोड़ा जाएगा से संबंधित राज्य शासन के अभिमत सहित प्रेषित किया जाये।	ग्राम चापड़ा रैयत पटवारी हल्का पहावाडी तहसील शाहपुर की भूमि खसरा नंबर – 17/1 (अ) रकबा 90.140 हे. में से 9.28 हे. तथा खसरा नंबर – 17/2 (अ) रकबा 35.00 हे. इस प्रकार कुल 44.28 हे. क्षेत्र वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु चयनित किया गया है। मेंढा मध्यम परियोजना के अंतर्गत कुल से प्रभावित वनभूमि 20.14 हे. वनभूमि जल संसाधन विभाग को उपयोग में देने के एवज में दोगुना क्षेत्र 40.28 हे. होता है। खसरा नंबर – 17/2 (अ) रकबा 35.00 हे. में से उपवनमंडलाधिकारी शाहपुर (सा.) द्वारा प्रस्तुत मौका स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार ट्रांसमिशन लाईन का (400 मीटर लंबाई X 52 मीटर चौड़ाई = 20800 वर्ग मीटर) 2.08 हे. क्षेत्र में पॉवरलाईन गुजर रही है। वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु चयनित क्षेत्र का कुल रकबा 44.28 हे. क्षेत्र राजस्व विभाग से हस्तांतरित करा लिया गया है जो कि 4.00 हे. अधिक है। 4.00 हे. अधिक क्षेत्र जिसमें पॉवरलाईन गुजर रही है को सुरक्षा की दृष्टि से वृक्षारोपण क्षेत्र में शामिल किया गया है। अतः प्रस्तावित वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु अतिरिक्त क्षेत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

वनमण्डलाधिकारी
उत्तर बैतूल (सा०) वनमंडल

Scanned with OKEN Scanner

पृ.क्र./मा0चि0/2026/ 1670 बैतूल, दिनांक 12/03/2026

प्रतिलिपि :- कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक – 2 की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

[illegible]

[illegible] बैतूल (रा.), [illegible]

Scanned with OKEN Scanne